

// निर्णय //

(आज दिनांक 27-9-17 को घोषित)

- 01 आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/176 M.V.P के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 02 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी चण्ड उडु देवेन्दु बाबु को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/176 M.V.P के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमरा राशि रुपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
- 03 अर्थदण्ड सदाय में व्यक्तिकम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
- 04 जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन मोटर (सफ़ेद) को M.P. 2 NR 6186 को उसकी पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशान पर दस्त

89941
का गुप्त
Judicial Magistrate (Tass)
Gahad dist. Bhadr (M.P.)